

>

Title: Introduction of the Prohibition of Indecent Advertisements Bill, 2012.

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अभद्रता, अश्लीलता, हिंसक कार्य या संत्रास चित्रण वाले अशुद्ध विज्ञापनों, जिनसे नागरिकों विशेषकर युवाओं के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लोक नैतिकता को क्षति पहुंचाती है, का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या अनुषंगी विषय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अभद्रता, अश्लीलता, हिंसक कार्य या संत्रास चित्रण वाले अशुद्ध विज्ञापनों, जिनसे नागरिकों विशेषकर युवाओं के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और लोक नैतिकता को क्षति पहुंचाती है, का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या अनुषंगी विषय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

-

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :** महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---